न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
09 / 2024	11.01.2024	28.05.2024

अनवान

1. दीपक पुत्र नारायणलाल जाति रावल आयु वयस्क निवासी जीतिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. भवानीराम पिता सुरजमल जाति नायक आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. अम्बालाल पिता चुन्नीलाल जाति तेली आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
3. सोहनलाल पिता भुरा जाति तेली आयु वयस्क निवासी पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. अम्बालाल पिता भैरूलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. धनराज पिता प्यारा जाति भील आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
6. परमानन्द पिता रूपा जाति भील आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. मोहन पिता डालु जाति भील आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
8. होकम पिता जालम जाति भील आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. रामेश्वर पिता जालम जाति भील आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. शंकर पिता प्यारा जाति भील आयु वयस्क निवासी झोपडिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
11. मोहन पिता रामा जाति चमार आयु वयस्क निवासी रणछोडपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. लेहरू पिता किशना जाति चमार आयु वयस्क निवासी रणछोडपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:45:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री बी0[illegible] प्रार्थी
एक तरफा अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 165 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2790 रकबा 0.38 हैक्ट0, आराजी संख्या 2828 रकबा 0.45 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.83 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 28.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 2, 5, 7, 10 के विरूद्ध वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 165 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2790 रकबा 0.38 हैक्ट0, आराजी संख्या 2828 रकबा 0.45 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.83 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका [illegible] है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना [illegible] पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा [illegible] करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:45:07 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश[illegible] कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन